संख्याः–1517 /III(2)/11–20(प्रा0आ0)/2011

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 22 जून, 2011

विषयः– **जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र–कनालीछीना के अन्तर्गत सिंघाली–बस्तरी मोटर मार्ग के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2003–04 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र–कनालीछीना के अन्तर्गत सिंघाली–बस्तरी मोटर मार्ग के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत अनुदान संः–22 शासनादेश संः– 577/लो0नि0–2/03– 65(लोहाघाट)/2002 दिनांक 28 अगस्त, 2003 लम्बाई 2.50 किमी0 तथा प्रथम चरण की लागत ₹ 10.75 लाख की प्रदान की गई। वर्तमान में मुख्य अभियन्ता, कु0क्षे0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्र संः– 1355/1125 याता0–कु0/2010 दिनांक 14–02–2011 द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसकी लम्बाई 2.50 किमी0 तथा लागत ₹ 63.81 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 61.17 लाख (₹ इक्सठ लाख सतरह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई बचत हो रही हो तो उसको वर्तमान स्वीकृत लागत से समायोजित किया जायेगा।

(ii) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(iv) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(v) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(vi) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

महिमा

(viii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(ix) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(x) यदि संलग्न कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(xi) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस संबंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22 –लेखाषीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत –800 अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–01 चालू निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 151/XXVII/(2)/2011 दिनांकः 21 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्याः– 1517 (1)/III(2)/11–20(प्रा0आ0)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।
4. मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. मुख्य/वरिष्ठ/ कोषाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़/देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट।
10. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव